2024 का विधेयक संख्यांक 177

तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024

खंडों का क्रम

खंड

भाग 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ ।
2. परिभाषाएं ।

अध्याय 2

तटीय व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति और प्रतिषेध

3. तटीय व्यापार का प्रतिषेध ।
4. तटीय व्यापार, आदि के लिए अनुज्ञप्ति ।
5. अनुज्ञप्ति का निलंबन, प्रतिसंहरण या उपांतरण ।
6. रिपोर्टिंग अपेक्षाएं ।
7. पत्तन अनुमति के लिए अनुज्ञप्ति का प्रस्तुत किया जाना ।

अध्याय 3

राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन सामरिक योजना तथा तटीय पोत परिवहन का राष्ट्रीय डाटा

8. राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन सामरिक योजना ।
9. राष्ट्रीय तटीय पोत परिवहन डाटा ।

अध्याय 4

तटीय व्यापार से अन्यथा चार्टर्ड जलयानों की अनुज्ञप्ति

10. अध्याय का लागू होना ।
11. चार्टर्ड जलयानों द्वारा अनुज्ञप्ति की अपेक्षा ।
12. चार्टर्ड जलयानों को दी गई अनुप्ति का निलंबन, प्रतिसंहरण या उपांतरण ।
13. विधिमान्यता समाप्त हो जाने पर चार्टर्ड जलयानों को दी गई अनुज्ञप्ति का लौटाना ।
14. बिना अनुज्ञप्ति प्रस्तुत किए पत्तन से निकासी नहीं की जाएगी ।

अध्याय 5

अपराध और शास्तियां

15. धारा 3 के उल्लंघन में तटीय व्यापार में भाग लेने के लिए दंड ।
16. अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता समाप्त हो जाने के पश्चात् तटीय व्यापार में भाग लेने के लिए दंड ।
17. धारा 12 के उल्लंघन में जलयान को समुद्र में ले जाने के लिए दंड ।

खंड

18. नोटिस के पश्चात् सूचना देने में विफल या गलत सूचना देने के लिए दंड ।
19. निरोध के आदेश के अतिक्रमण के लिए दंड ।
20. जलयान को निरुद्ध करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को विधि विरुद्ध रूप से निरोध करने के लिए दंड ।
21. मिथ्या या भ्रामक जानकारी को रिपोर्ट करने के लिए शास्ति ।
22. अनुज्ञप्ति की शर्तों के अतिक्रमण के लिए शास्ति ।
23. महानिदेशक के निदेश के अननुपालन के लिए शास्ति ।
24. केन्द्रीय सरकार के आदेश के अननुपालन के लिए शास्ति ।
25. उल्लघंन या अननुपालन के लिए साधारण उपबंध ।
26. कतिपय अपराधों का शमन ।
27. दंड की बाबत विशेष उपबंध ।
28. कंपनी द्वारा अपराध ।
29. जलयान को निरुद्ध रखने की शक्ति ।
30. शास्ति, अपील और उसकी प्रक्रिया के अधिरोपण के लिए न्यायनिर्णायन अधिकारी ।
31. किसी विदेशी जलयान के संबंध में सूचना देना ।
32. विचारण का स्थान और न्यायालय की अधिकारिता ।
33. दस्तावेजों की तामील ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

34. प्रत्योजन की शक्ति ।
35. महानिदेशक की निदेश देने तथा जानकारी मांगने की शक्ति ।
36. केंद्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।
37. छूट देने की शक्ति ।
38. सद्भाव में कार्य करने का संरक्षण ।
39. केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।
40. संसद् के समक्ष नियम और अधिसूचना का रखा जाना ।
41. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।
42. निरसन और व्यावृत्ति ।

2024 का विधेयक संख्यांक 177

[दि कोसटल शिपिंग बिल, 2024 का हिन्दी अनुवाद]

तटीय पोत परिवहन विधेयक, 2024

तटीय पोत परिवहन के विनियमन से संबंधित विधि के समेकन और संशोधन के लिए, तटीय व्यापार की प्रोन्नति के लिए और उसमें घरेलू सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए, यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारत अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और वाणिज्यिक आवश्यकताओं के लिए भारतीय नागरिकों द्वारा स्वाधिकृत और प्रचालित तटीय बेड़ों से सुसज्जित हो, और उनसे संसक्त और उनके आनुषंगिक विषयों के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के पचहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

भाग 1

प्रारंभिक

संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम तटीय पोत परिवहन अधिनियम, 2024 है ।

(2) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय यह निम्नलिखित पर लागू होगा—

(क) स्वामी के निवास या अधिवास के स्थान को विचार में लिए बिना तटीय व्यापार में लगे हुए भारतीय जलयान से भिन्न जलयान ;

(ख) अध्याय 4 में निर्दिष्ट प्रत्येक चार्टरित जलयान ; और

(ग) भारत के तटीय सागर-खंड ।

(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिसे केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, नियत करे और इस अधिनियम के विभिन्न उपबंधों के लिए भिन्न-भिन्न तारीखें नियत की जा सकेंगी ।

परिभाषाएं ।

2. (1) इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "तटीय व्यापार" से भारत के किसी पत्तन या स्थान से भारत के किसी अन्य पत्तन या स्थान तक समुद्र द्वारा माल या यात्रियों का वहन अथवा तटीय सागर-खंड के भीतर किसी सेवा की पूर्ति करना अभिप्रेत है किंतु इसमें किसी प्रकार का मछली पकड़ना समिल्लित नहीं है ।

स्पष्टीकरण—इस खंड के प्रयोजनों के लिए, "सेवा" में समुद्र द्वारा माल या यात्रियों के वहन से भिन्न तटीय सागर-खंड में खोज, विदोहन, अनुसंधान और अन्य वाणिज्यिक क्रियाकलाप सम्मिलित है ;

(ख) "तटीय सागर-खंड" से तटीय व्यापार करने के लिए राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड, महाद्वीपीय मग्नतट भूमि, अनन्य आर्थिक क्षेत्र और अन्य सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1976 के अर्थ के भीतर भारत के सामुद्रिक क्षेत्र से लगे हुए किसी भाग के साथ भारत के राज्यक्षेत्रीय सागर-खंड का कोई भाग अभिप्रेत है : 1976 का 80

परंतु केंद्रीय सरकार, किसी पत्तन या स्थान को जिसके अंतर्गत अंतर्देशीय भारतीय सागर-खंड भी हैं, अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के तटीय सागर-खंड के भाग के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकेगी;

(ग) "समिति" से राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन सामरिक योजना तैयार करने के लिए धारा 8 की उपधारा (3) के अधीन गठित समिति अभिप्रेत है ;

(घ) "महानिदेशक" से वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन नियुक्त किया गया महानिदेशक अभिप्रेत है ; 1958 का 44

(ङ) "भारतीय जलयान" से वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के अधीन भारत में रजिस्ट्रीकृत कोई जलयान अभिप्रेत है ; 1958 का 44

(च) "अनुज्ञप्ति" से धारा 4 या धारा 11 के अधीन महानिदेशक द्वारा जारी अनुज्ञप्ति अभिप्रेत है ;

(छ) "अनुज्ञप्तिधारी" में स्वामी या मास्टर या भाड़े पर लेने वाला या प्रचालक या कोई अन्य व्यक्ति जो महानिदेशक द्वारा ऐसे जलयान के लिए प्रदत्त अनुज्ञप्ति के अधीन जलयान का प्रचालन कर रहा है, सम्मिलित है ;

(ज) "तटीय पोत परिवहन राष्ट्रीय डाटाबेस" से धारा 8 के अधीन महानिदेशक द्वारा अनुरक्षित डाटाबेस अभिप्रेत है ;

(झ) "अधिसूचना" से, यथास्थिति, भारत के राजपत्र या राज्य के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचित" पद का इसके

व्याकरणिक रूपभेद और प्रजातीय पदों के साथ तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

1958 का 44

(ट) "प्रधान अधिकारी" से पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में निर्दिष्ट वाणिज्यिक समुद्री विभाग का प्रधान अधिकारी अभिप्रेत है ;

(ठ) "समुचित अधिकारी" का वही अर्थ होगा, जो सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 2 के खंड (34) में उसका है ;

1962 का 52

(ड) "सामरिक योजना" से धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन सामरिक योजना अभिप्रेत है ;

(ढ) "जलयान" में समुद्री पर्यावरण में उपयोग होने वाले या उपयोग होने के लिए प्रत्येक विवरण के सक्षम जलयान जैसे पोत, नाव, चलत जलयान, मछली पकड़ने के जलयान, पनडुब्बी, अर्ध-पनडुब्बी, जलतरणी, गैर-स्थानांतरित यान, जल-स्थल यान, वायु से भूमि यान, आमोद-प्रमोद के यान, बजरा, माल नौका, चल अपतट भेदन इकाइयां, चल अपतट इकाइयां सम्मिलित हैं ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है किंतु वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे, जो उनके इस अधिनियम में है ।

1958 का 44

अध्याय 2

तटीय व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति और प्रतिषेध

तटीय व्यापार का प्रतिषेध ।

3. (1) भारतीय जलयान से भिन्न कोई जलयान धारा 4 के अधीन महानिदेशक द्वारा प्रदत्त अनुज्ञप्ति के सिवाय तटीय सागर-खंड में तटीय व्यापार नहीं करेगा :

परंतु महानिदेशक अंतर्देशीय जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी जलयान को लिखित आदेश द्वारा उस विस्तार तक और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए, जो उस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, तटीय व्यापार करना अनुज्ञात कर सकेगा ।

2021 का 24

(2) जो कोई तटीय व्यापार करने के लिए किसी व्यक्ति को नियोजित करता है, यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा व्यक्ति उपधारा (1) के उपबंधों का अतिक्रमण नहीं करता हो ।

तटीय व्यापार, आदि के लिए अनुज्ञप्ति ।

4. (1) तटीय व्यापार के लिए अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए प्रत्येक आवेदन महानिदेशक को ऐसे प्ररूप, रीति में और ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, किया जाएगा ।

(2) महानिदेशक, इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति जारी करने से पहले निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा, अर्थात् :—

(क) क्या आवेदक के पास पहले से ही ऐसी अनुज्ञप्ति है, जो रद्द कर दी गई थी ;

(ख) क्या आवेदक अपने आवेदन किए जाने से पूर्व या उसके लंबित करने की अवधि के दौरान इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के अतिक्रमण में लगा हुआ था ;

(ग) कर्मीदल की नागरिकता ;

(घ) जलयान की निर्माण अपेक्षाएं ;

(ङ) मार्ग पर जलयानों की उपलब्धता ;

(च) समान मार्ग के लिए जलयानों को प्रदत्त की गई अनुज्ञप्तियां ;

(छ) क्षेम, राष्ट्रीय और समुद्री सुरक्षा सरोकार ;

(ज) जलयान के फलक पर उपस्कर, जिसके अंतर्गत संसूचना उपस्कर भी है ;

(झ) धारा 8 के अधीन सामरिक योजना ;

(ञ) परिवहन की लागत दक्षता ;

(ट) जलयान और कर्मीदल के प्रमाणपत्रों की विधिमान्यता ;

(ठ) जलयान के बीमा प्रमाणपत्र की विधिमान्यता ; और

(ड) अन्य अपेक्षाएं जो महानिदेशक इस अधिनियम के उद्देश्यों को अग्रसर करने में आवश्यक समझे ।

(3) इस धारा के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अध्यधीन रहते हुए होगी, जो विहित की जाएं :

परंतु महानिदेशक, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसी अन्य शर्तें, जो अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने के लिए आवश्यक हो, विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

(4) इस धारा के अधीन प्रदत्त की जाने वाली अनुज्ञप्ति का वर्ग या प्रवर्ग ऐसा होगा, जो विहित किया जाए ।

अनुज्ञप्ति का निलंबन, प्रतिसंहरण या उपांतरण ।

5. (1) महानिदेशक, यदि मामले की परिस्थितियां इस अधिनियम के उद्देश्यों को पूरा करना अपेक्षित करती हों, लिखित आदेश द्वारा और उसमें अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से धारा 4 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति को निलंबित, प्रतिसंहरित या उपांतरित कर सकेगा, यदि अनुज्ञप्तिधारी या उसके द्वारा नियोजित कोई व्यक्ति—

(क) अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का उल्लंघन करता है ; या

(ख) जलयान को लागू तत्समय प्रवृत्त किसी विधि की किसी अपेक्षा का अनुपालन करने में असफल रहता है ; या

(ग) धारा 35 के अधीन जारी किए गए निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है ; या

(घ) इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किसी जुर्माने को संदत्त करने या किसी दंडादेश की तामील करने में असफल रहता है :

परंतु इस खंड के अधीन अनुज्ञप्ति का निलंबन, प्रतिसंहरण या उपांतरण, इस

अधिनियम के अधीन उस पर अधिरोपित किसी जुर्माने या शास्ति के संदाय की या किसी दंड को भुगतने की उसकी बाध्यता से अनुज्ञप्तिधारी को मुक्त नहीं करेगा ।

(2) धारा 4 के अधीन प्रदत्त कोई अनुज्ञप्ति उपधारा (1) के अधीन निलंबित, प्रतिसंहरित या उपांतरित नहीं की जाएगी, जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाए ।

(3) कोई अनुज्ञप्तिधारी, जो धारा 4 के अधीन उसको प्रदत्त अनुज्ञप्ति की विशिष्टियों को उपांतरित करने का आशय रखता है, इस निमित्त ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, महानिदेशक को आवेदन कर सकेगा ।

(4) जहां धारा 4 के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति, उसकी अवधि की समाप्ति या प्रतिसंहरण के कारण विधिमान्य नहीं रह जाती है, वहां अनुज्ञप्तिधारी, ऐसी अवधि के भीतर, जो महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए—

(क) उसे महानिदेशक को लौटा देगा या लौटवा देगा; और

(ख) ऐसे जलयान को, जिसके लिए अनुज्ञप्ति प्रदत्त की गई थी, तटीय सागर-खंड से,

हटवा देगा ।

रिपोर्टिंग अपेक्षाएं ।

6. तटीय व्यापार में नियोजित प्रत्येक जलयान, जिसके अंतर्गत भारतीय जलयान भी हैं, महानिदेशक को ऐसे प्ररूप और रीति में, जो विहित की जाए, निम्नलिखित सूचना की रिपोर्ट करेंगे, अर्थात् :—

(क) ऐसा पत्तन या ऐसे पत्तन जिस पर उसने अपनी समुद्रीयात्रा के दौरान यात्रा की है ;

(ख) ऐसे जलयान द्वारा वहन किया गया माल या यात्री और ऐसे पत्तन या स्थान, जहां ऐसे माल या यात्रियों को छोड़ा गया ;

(ग) कोई अपतट क्षेत्र, जिसमें वह अपनी समुद्री यात्रा के प्रयोजनों के लिए प्रचालित हुआ या चलाया गया ; और

(घ) ऐसी अन्य जानकारी जो महानिदेशक उपयुक्त समझे ।

पत्तन अनुमति के लिए अनुज्ञप्ति का प्रस्तुत किया जाना ।

7. (1) कोई उचित अधिकारी तटीय व्यापार में नियोजित भारतीय जलयान से भिन्न किसी जलयान को पत्तन में प्रवेश करने या उससे प्रस्थान करने की अनुमति प्रदान नहीं करेगा, जब तक कि ऐसे जलयान का अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता उपधारा (4) के अधीन प्रदत्त अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं कर देता है ।

(2) जहां कोई जलयान इस अधिनियम की अपेक्षाओं का अनुपालन करने में असफल हो जाता है, महानिदेशक या प्रधान अधिकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा इस निमित्त अभिहित कोई अधिकारी ऐसे जलयान के अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् लिखित आदेश द्वारा और उसमें अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से ऐसे जलयान की निर्मुक्ति के लिए आदेश दिए जाने या किए जाने तक उस जलयान को निरुद्ध कर सकेगा ।

अध्याय 3

राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन सामरिक योजना तथा तटीय पोत परिवहन का राष्ट्रीय डाटा

राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन सामरिक योजना ।

8. (1) केंद्रीय सरकार, इस अधिनियम के आरंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन सामरिक योजना प्रकाशित करेगी, जिसे इसी प्रकार की अधिसूचना द्वारा प्रत्येक दो वर्ष में अद्यतन किया जाएगा ।

(2) सामरिक योजना में निम्नलिखित सम्मिलित होगा, अर्थात् :—

(क) भारत में तटीय पोत परिवहन मार्गों, जिसके अंतर्गत अंतर्देशीय जलमार्ग द्वारा दखलकृत मार्ग भी हैं, की स्थिति का निर्धारण ;

(ख) तटीय समुद्री परिवहन को माल और यात्रियों के परिवहन के लिए लागत-दक्ष बनाने के क्रम में तटीय पोत परिवहन, जिसके अंतर्गत वे भी हैं जो अंतर्देशीय समुद्री मार्ग के साथ एकीकृत हैं, में अपेक्षित परिचालन सुधारों की पहचान ;

(ग) तटीय पोत परिवहन और अंतर्देशीय समुद्री यात्रा नेटवर्क पर यातायात का दीर्घकालिक पूर्वानुमान ;

(घ) तटीय पोत परिवहन के प्रदर्शन में सुधार के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों की पहचान, जिसके अंतर्गत अंतर्देशीय समुद्री यात्रा मार्गों द्वारा प्रस्तुत सह-क्रिया और परिवहन की अन्य पद्धतियां भी हैं ;

(ङ) तटीय पोत परिवहन के लिए नए मार्गों की पहचान और उनका अंतर्देशीय समुद्री मार्गों और विद्यमान तटीय पोत परिवहन मार्गों के साथ एकीकरण ;

(च) भारत में तटीय पोत परिवहन के लिए भारतीय जलयानों के निर्माण, रजिस्ट्रीकरण और सहभागिता की अभिवृद्धि के लिए उपाय ;

(छ) ऐसी शर्तों, जिनके अध्यधीन रहते हुए भारतीय जलयान अधिनियम, 2021 के अधीन रजिस्ट्रीकृत जलयान भारत में तटीय व्यापार में नियोजित हो सकता है, के संबंध में सिफारिशें ;

2021 का 24

(ज) ऐसे अन्य मामले, जो विहित किए जाएं ।

(3) केंद्रीय सरकार, सामरिक योजना तैयार करने के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली समिति का गठन करेगी, अर्थात् :—

(क) पोत परिवहन महानिदेशक - अध्यक्ष, पदेन ;

(ख) भारतीय अंतर्देशीय समुद्री मार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 3 के अधीन गठित भारतीय अंतर्देशीय समुद्री मार्ग प्राधिकरण का अध्यक्ष - सदस्य, पदेन ;

(ग) महापत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2021 की धारा 3 की उपधारा (1)

के अधीन गठित प्रत्येक महापत्तन प्राधिकरण का एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

(घ) राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् सचिवालय का एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

(ङ) प्रत्येक राज्य समुद्री बोर्ड या राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में महापत्तनों से भिन्न पत्तनों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी किसी अय निकाय का एक प्रतिनिधि - सदस्य ;

(च) पोत स्वामियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए दो प्रतिनिधि - सदस्य ;

(छ) नाविकों के दो प्रतिनिधि - सदस्य ;

(ज) तटीय व्यापार, वाणिज्यिक और समुद्रीय व्यापार या सामुद्रिक सेक्टर के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले ऐसे अन्य व्यक्ति, जो केंद्रीय सरकार आवश्यक समझे, सदस्य ।

(4) समिति ऐसे समय और स्थान पर बैठक करेगी और अपनी बैठकों, जिसके अंतर्गत ऐसी बैठकों में गणपूर्ति भी है, में कारबार के संव्यवहार के लिए ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी, जो विहित की जाएं ।

(5) समिति, केंद्रीय सरकार के विचार और अनुमोदन के लिए सामरिक योजना का प्रारूप तैयार करेगी और केंद्रीय सरकार, प्रारूप योजना पर विचार करने के पश्चात् उपांतरणों के साथ या इनके बिना उक्त योजना का अनुमोदन करेगी ।

(6) केंद्रीय सरकार, जनसाधारण की पहुंच के लिए अपनी वेबसाइट पर सामरिक योजना उपलब्ध कराएगी ।

राष्ट्रीय तटीय पोत परिवहन डाटा ।

9. (1) महानिदेशक, ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में जो विहित की जाए, राष्ट्रीय तटीय पोत परिवहन डाटा नाम से ज्ञात डाटा का वेब पोर्टल पर अनुरक्षण करेगा ।

(2) राष्ट्रीय तटीय पोत परिवहन डाटा में भारत में तटीय व्यापार पर निम्नलिखित सूचना अंतर्विष्ट होगी, अर्थात् :—

(क) धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्ति के लिए प्राप्त आवेदन पत्र ;

(ख) धारा 4 के अधीन मंजूर की गई अनुज्ञप्ति ;

(ग) इस प्रकार मंजूर की गई अनुज्ञप्तियों के लिए निबंधन और शर्तें ;

(घ) भारत के तटीय व्यापार में मार्ग, समुद्र यात्रा और सेवाएं ;

(ङ) धारा 4 के अधीन अनुज्ञप्तियों की मंजूरी के लिए आवेदनों की अपेक्षा ;

(च) धारा 5 के अधीन अवसान हो चुके और वापस की गई अनुज्ञप्ति ;

(छ) धारा 6 के अधीन महानिदेशक को रिपोर्ट की गई जानकारी ;

(ज) ऐसी अन्य जानकारी जैसा कि महानिदेशक उचित समझे ।

(3) महानिदेशक जनता की पहुंच के लिए वेब पोर्टल में इलेक्ट्रानिक प्ररूप में तटीय पोत परिवहन का राष्ट्रीय डाटाबेस उपलब्ध कराएगा और इसे प्रत्येक मास में अद्यतन किया जाएगा ।

अध्याय 4

तटीय व्यापार से अन्यथा चार्टर्ड जलयानों की अनुज्ञप्ति

अध्याय का लागू होना ।

10. यह अध्याय भारत के नागरिक या अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक, या किसी कंपनी या सहकारी समिति या सीमित दायित्व वाली भागीदारी या कोई अन्य इकाई द्वारा भाड़े पर लिए गए सभी समुद्री जलयानों पर लागू होगा, जिसे केन्द्रीय सरकार, अधिसूचना द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट कर सकती है, जो किसी पत्तन पर स्थान से समुद्र में जाते हैं—

(क) भारत में, भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान पर; या

(ख) भारत के बाहर, भारत में या भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान पर ।

चार्टर्ड जलयानों द्वारा अनुज्ञप्ति की अपेक्षा ।

11. (1) भारतीय जलयान से अन्यथा कोई जलयान जिसे भारत के नागरिक या अनिवासी भारतीय या भारत के विदेशी नागरिक, या किसी कंपनी या सहकारी समिति या सीमित दायित्व वाली भागीदारी या कोई अन्य इकाई द्वारा भाड़े, जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, कि भारत के भीतर या भारत के बाहर किसी पत्तन या स्थान से समुद्र में नहीं ले जाया जाएगा, सिवाय इस धारा के अधीन महानिदेशक द्वारा दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन :

परंतु कोई भी जलयान, जो भारत के किसी विदेशी नागरिक द्वारा भाड़े पर लिया गया है, उन्हें अनुज्ञप्ति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होगी, यदि ऐसा जलयान भारत के बाहर प्रचालन के लिए अनन्य रूप से भाड़े पर लिया गया है ।

(2) इस धारा के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति—

(क) सामान्य अनुज्ञप्ति ; या

(ख) विनिर्दिष्ट अवधि या समुद्र यात्रा के लिए अनुज्ञप्ति ।

(3) इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति देने के लिए प्रत्येक आवेदन, ऐसे प्ररूप, रीति और ऐसी फीस के संदाय पर, जैसा विहित किया जाए महानिदेशक को किया जाएगा ।

(4) इस धारा के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति ऐसे प्ररूप में, ऐसी अवधि के लिए, और ऐसी शर्तों के अधीन होगी, जैसा विनिर्दिष्ट किया जाए :

परंतु महानिदेशक, कारण अभिलिखित किए जाने के पश्चात्, ऐसी अन्य शर्तें विनिर्दिष्ट कर सकेगा जो इस धारा के अधीन अनुज्ञप्ति देने के लिए आवश्यक हों ।

चार्टर्ड जलयानों को दी गई अनुप्ति का निलंबन, प्रतिसंहरण या उपांतरण ।

12. (1) महानिदेशक, किसी भी समय, यदि मामले की परिस्थितियां इस प्रकार अपेक्षित हैं, लिखित आदेश द्वारा तथा उसमें कारणों को अभिलिखित करके, धारा 11 के अधीन दी गई किसी अनुज्ञप्ति को निलंबित, प्रतिसंहरित या उपांतरित कर सकता है :

परंतु किसी भी ऐसी अनुज्ञप्ति को निलंबित, प्रतिसंहरित या उपांतरित नहीं किया जाएगा, जब तक कि अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं कर दिया जाता है ।

(2) कोई अनुज्ञप्तिधारी, जो धारा 11 के अधीन उसे दी गई अनुज्ञप्ति की

विशिष्टियों को उपांतरित करने का आशय रखता है, महानिदेशक को उस निमित्त ऐसे प्ररूप और रीति में, जैसा विहित किया जाए आवेदन कर सकेगा ।

विधिमान्यता समाप्त हो जाने पर चार्टर्ड जलयानों को दी गई अनुज्ञप्ति का लौटाना ।

13. जहां धारा 11 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति अपनी अवधि के अवसान पर या प्रतिसंहरण के कारण वैध नहीं रह जाती है, वहां अनुज्ञप्तिधारी उसे महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, महानिदेशक को वापस कर देगा या वापस करवाएगा ।

बिना अनुज्ञप्ति प्रस्तुत किए पतन से निकासी नहीं की जाएगी ।

14. कोई भी समुचित अधिकारी इस अध्याय के अधीन कोई जलयान जिसमें अनुज्ञप्ति अपेक्षित है, जब तक जलयान का स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता ऐसे जलयान के संबंध में वैध अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं कर देता है निकासी की मंजूरी नहीं देगा ।

अध्याय 5

अपराध और शास्तियां

धारा 3 के उल्लंघन में तटीय व्यापार में भाग लेने के लिए दंड ।

15. जो कोई धारा 3 के उपबंधों के उल्लंघन में तटीय व्यापार में लगा रहता है, वह ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पंद्रह लाख रुपए, या समुद्री यात्रा के लिए जलयान के स्वामी या चार्टर्ड द्वारा प्राप्त सभी फीसों या कमीशन या संदायों के मूल्य का चार गुना, जो भी अधिक हो, या दोनों से दंडनीय होगा और जलयान धारा 29 के अधीन निरोध के लिए भी दायी होगा ।

अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता समाप्त हो जाने के पश्चात् तटीय व्यापार में भाग लेने के लिए दंड ।

16. जो कोई धारा 5 की उपधारा (4) के खंड (ख) के उपबंधों के उल्लंघन में तटीय व्यापार लगा रहता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो छह माह तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो दस लाख रुपए तक या उल्लंघन में संचालित सभी समुद्रीय यात्राओं के लिए जलयान के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त सभी फीसों या कमीशन या संदायों के मूल्य का दो गुना, जो भी अधिक हो, या दोनों से दंडनीय होगा और जलयान धारा 29 के अधीन निरोध के लिए भी दायी होगा ।

धारा 12 के उल्लंघन में जलयान को समुद्र में ले जाने के लिए दंड ।

17. जो कोई धारा 11 के उपबंधों के उल्लंघन में जलयान को समुद्र में ले जाता है वह ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से जो पंद्रह लाख रुपए, या समुद्री यात्रा के लिए जलयान के स्वामी या चार्टर्ड द्वारा प्राप्त सभी फीसों या कमीशन या संदायों के मूल्य का चार गुना जो भी, अधिक हो, या दोनों से दंडनीय होगा और जलयान धारा 29 के अधीन निरोध के लिए भी दायी होगा ।

नोटिस के पश्चात् सूचना देने में विफल या गलत सूचना देने के लिए दंड।

18. यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता, जिस पर धारा 35 की उपधरा (2) के अधीन सूचना तामील की गई है—

(क) विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपेक्षित सूचना देने में विफल रहता है ; या

(ख) कोई सूचना देता है या कोई कथन करता है जिसे अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता जानते हैं कि वह तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या है,

तो वह ऐसी अवधि के कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या जुर्माने से

जो पचास हजार रुपए, या दोनों से, दंडनीय होगा, और जलयान धारा 29 के अधीन निरोध के लिए दायी होगा ।

निरोध के आदेश के अतिक्रमण के लिए दंड ।

19. यदि कोई जलयान, जिसके संबंध में इस अधिनियम के अधीन नोटिस या आदेश की तामील की जाती है, इसे छोड़े जाने से पूर्व समुद्र में जाता है, जलयान के अनुज्ञप्तिधारी जिसके संबंध में उल्लंघन हुआ है, को कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा या जुर्माने से जो पंद्रह लाख रुपए या दोनों से दंडनीय होगा, और जलयान धारा 29 के अधीन निरोध के लिए भी दायी होगा ।

जलयान को निरुद्ध करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को विधि विरुद्ध रूप से निरोध करने के लिए दंड ।

20. जहां कोई जलयान, निरोध के पश्चात्, या ऐसे निरोध के पश्चात् किसी जलयान को निरुद्ध करने के लिए प्राधिकृत किसी प्राधिकृत व्यक्ति के साथ समुद्र में जाता है, तो उसे छोड़े जाने से पहले, ऐसे जलयान के अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता, कारावास से जो छह माह तक का हो सकेगा या एक लाख रुपए तक के जुर्माने और ऐसे व्यक्ति के समुद्र में ले जाए जाने पर होने वाले व्ययों या दोनों से दंडनीय होगा और जलयान धारा 29 के अधीन निरोध के लिए दायी होगा ।

मिथ्या या भ्रामक जानकारी को रिपोर्ट करने के लिए शास्ति ।

21. कोई व्यक्ति जिसे धारा 6 के अधीन महानिदेशक को कोई जानकारी देना अपेक्षित है, ऐसा करने में विफल रहता है, या अन्यथा जानबूझकर भ्रामक या मिथ्या जानकारी देता है, तो वह शास्ति के लिए जो एक लाख रपए तक की हो सकेगी, दायी होगा ।

अनुज्ञप्ति की शर्तों के अतिक्रमण के लिए शास्ति ।

22. जो कोई धारा 4 या धारा 12 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों का अनुपालन करने में विफल रहता है, वह शास्ति जो दस लाख रुपए तक की हो सकेगी, या उल्लंघन में संचालित सभी समुद्रीय यात्राओं के लिए जलयान के अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राप्त सभी फीसों या कमीशन या संदायों के मूल्य का दो गुना, जो भी अधिक हो, या दोनों से दंडनीय होगा और जलयान धारा 29 के अनुसार निरोध के लिए भी दायी होगा ।

महानिदेशक के निदेश के अननुपालन के लिए शास्ति ।

23. कोई अनुज्ञप्तिधरी या अभिकर्ता, जो धारा 35 की उपधारा (1) के अधीन महानिदेशक के किसी निदेश के अनुपालन करने में असफल रहता है तो वह शास्ति से जो पांच लाख रुपए या ऐसे निदेश के उल्लंघन में संचालित सभी समुद्री यात्राओं के लिए ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता द्वारा प्राप्त सभी फीसों या कमीशन या संदायों के मूल्य का दो गुना, जो भी अधिक हो, दंडनीय होगा और जलयान धारा 29 के अधीन निरोध के लिए भी दायी होगा ।

केन्द्रीय सरकार के आदेश के अननुपालन के लिए शास्ति ।

24. कोई अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता, जो इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार के आदेशों का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो वह पंद्रह लाख रुपए से अनधिक की शास्ति के लिए दायी होगा, और जलयान धारा 29 के अधीन निरोध के लिए भी दायी हो सकेगा ।

उल्लघंन या अननुपालन के लिए साधारण उपबंध ।

25. जो कोई, इस अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, या उसके किसी उपबंध के अनुपालन में असफल रहता है, या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, निदेश, आदेश या अधिसूचना, जिसके लिए इस अधिनियम में कोई भी दंड या शास्ति विशेष रूप से उपबंधित नहीं है, वह उस शास्ति के लिए जो एक लाख रुपए तक की हो सकेगी का दायी होगा, और यदि भंग सतत भंग है, तो उसे

अतिरिक्त शास्ति जो पहले दिन जिससे यह भंग प्रारंभ होता है के पश्चात् प्रत्येक दिन के लिए पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा ।

2023 का 46

कतिपय अपराधों का शमन ।

26. (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में अतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम की धारा 15 से धारा 20 के अधीन दंडनीय कोई भी अपराध, अभियोजन के संस्थित किए जाने के पूर्व या पश्चात्, इसकी ओर से अधिसूचना द्वारा, केंद्रीय सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी द्वारा ऐसी राशि का संदाय करके और ऐसी रीति से जैसा विहित किया जाए, शमन किया जा सकेगा :

परंतु ऐसी रकम किसी भी मामले में, इस अधिनियम के अधीन अधिरोपित किए जा सकने वाले इस प्रकार के शमनीय अपराधों के लिए जुर्माने की अधिकतम रकम से अधिक नहीं होगी :

परंतु यह और कि पश्चात्वर्ती मामलों में, उसका शमन नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई अधिकारी, केन्द्रीय सरकार के निदेश, नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन रहते हुए, अपराध को शमन करने की शक्ति का प्रयोग करेंगे ।

(3) अपराध के शमन के लिए प्रत्येक आवेदन ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में किए जाएंगे जैसा विहित किया जाए ।

(4) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित किए जाने से पूर्व कर दिया जाता है, वहां कोई अभियोजन अपराधी के विरुद्ध जिसके संबंध में अपराध इस प्रकार शम्य है, संस्थित नहीं किया जाएगा ।

(5) जहां किसी अपराध का शमन किसी अभियोजन के संस्थित होने के पश्चात् किया जाता है, वहां ऐसा शमन उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा लिखित रूप में उस न्यायालय के संज्ञान में लाया जाएगा, जिसमें अभियोजन लंबित है और अपराध के शमन के लिए ऐसी नोटिस दिए जाने पर, वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध अपराध का शमन किया गया है, उन्मोचित कर दिया जाएगा ।

(6) कोई व्यक्ति जो उपधारा (1) में निर्दिष्ट अधिकारी द्वारा किए गए शमन के आदेश के अनुपालन में असफल रहता है, वह उक्त अपराध के लिए उपबंधित जुर्माने के अतिरिक्त, अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम जुर्माने के बीस प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा ।

(7) इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का शमन इस धारा के उपबंधों के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथ नहीं ।

2023 का 46

दंड की बाबत विशेष उपबंध ।

27. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 23 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हए भी, प्रथम वर्ग के न्यायिक मजिस्ट्रेट के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति पर इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन प्राधिकृत कोई दंडादेश पारित करे ।

कंपनी द्वारा अपराध ।

28. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई अपराध, किसी कंपनी द्वारा किया गया है, वहां ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारोबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और

उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जाएंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे :

परंतु इस उपधारा में अंतर्विष्ट कोई बात ऐसे व्यक्ति को किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सब सम्यक् तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां, इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी के किसी निदेशक, मैनेजर, सचिव या भागीदार या कंपनी के किसी अन्य अधिकारी के भाग पर उसकी सम्मति या उसके मौनानुकुलता से किया गया है या उस अपराध का किया उसकी किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है वहां ऐसा निदेशक, प्रबंधक, सचिव या भागीदार या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए दायी होगा तथा वह दंडित किए जाने का भी भागी होगा ।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कंपनी" के अंतर्गत सहकारी सोसाइटी, फर्म, या सीमित दायित्व भागीदारी फर्म या व्यष्टिकों का अन्य संगम भी है ; और

(ख) फर्म के संबंध में "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

जलयान को निरुद्ध रखने की शक्ति ।

29. जहां किसी जलयान को इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध रखने के लिए प्राधिकृत किया जाता है या ऐसा आदेश किया जाता है, इस अधिनियम के अधीन भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक का कोई कमीशन प्राप्त आफिसर या पुलिस या कोई पत्तन अधिकारी, पायलट, बंदरगाह मास्टर या पत्तन संरक्षक या सीमा शुल्क का आयुक्त या किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी को प्रधान अधिकारी के अनुदेशों के अधीन जलयान से निरुद्ध रख सकेगा ।

शास्ति, अपील और उसकी प्रक्रिया के अधिरोपण के लिए न्यायनिर्णायन अधिकारी ।

30. (1) प्रधान अधिकारी धारा 21 से धारा 25 के अधीन शास्ति को अधिरोपित करने के प्रयोजन के लिए न्यायनिर्णायन अधिकारी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शास्ति को अधिरोपित करने वाले किसी प्रधान अधिकारी के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, उस प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए महानिदेशक के समक्ष एक अपील कर सकता है ।

(3) महानिदेशक ऐसी अपील की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर उपधारा (2) में निर्दिष्ट किसी अपील का निपटान करेगा ।

(4) इस धारा के अधीन कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक पक्षकारों को सुनवाई का एक उचित अवसर नहीं दिया गया हो ।

(5) धारा 21 से धारा 25 के अधीन अधिरोपित किसी शास्ति को इस निमित्त केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित किया जा सके पहले उल्लंघन के लिए शमनीय

किया जा सकता है ।

(6) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, इस अध्याय के अधीन प्रधान अधिकारी या महानिदेशक द्वारा अधिरोपित यदि किसी शास्ति को नहीं जमा किया जाता है, वह रकम भू-राजस्व के बकाया के रूप में पुनः संग्रहीत की जाएगी ।

किसी विदेशी जलयान के संबंध में सूचना देना ।

31. यदि कोई भारतीय जलयान से भिन्न कोई जलयान इस अधिनियम के अधीन निरुद्ध रखा जाता है या ऐसे जलयान के किसी अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता के विरुद्ध इस अधिनियम के अधीन यदि कोई कार्यवाही की जाती है उस देश के जिसमें ऐसा जलयान उस पत्तन के निकट या रजिस्ट्रीकृत है काउंसलर आफिसर को काउंसलर आफिसर पर तत्काल सूचना दी जाएगी जहां उस प्ररूप और रीति में जो विहित की जाए तत्समय जलयान है और ऐसी सूचना उस आधार पर विनिर्दिष्ट की जाएगी जिस पर जलयान को निरुद्ध रखा गया है या कार्यवाही की गई है ।

विचारण का स्थान और न्यायालय की अधिकारिता ।

32. कोई व्यक्ति इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध कार्य करता है, उस स्थान पर ऐसे अपराध के लिए विचारण किया जा सकता है जहां पाया गया हो या उस न्यायालय में जिसे केंद्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा निदेशित करे या किसी ऐसे न्यायालय में जिसमें ऐसा व्यक्ति का भारत में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन विचारण किया जाए ।

दस्तावेजों की तामील ।

33. जहां इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति पर कोई दस्तावेज तामील की जानी है तो ऐसी दस्तावेज,—

(क) किसी भी मामले में उस व्यक्ति को, जिस पर तामील की जानी है, उसकी प्रति वैयक्तिक रूप से परिदत्त करके या उसे उसके अंतिम निवास स्थान पर छोड़कर, अथवा डाक द्वारा, या इलैक्ट्रानिक रूप में तामील की जा सकेगी जैसा कि केंद्रीय सरकार इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके ;

(ख) यदि दस्तावेज की तामील जलयान के मास्टर पर अथवा जलयान के फलक पर उस व्यक्ति के पास छोड़कर, जो जलयान का समादेश करता है या उसका प्रभारी है या समादेश करने वाला या प्रभारी प्रतीत होता है, तामील की जा सकेगी ; और

(ग) उस जलयान के स्वामी पर जहां कोई मास्टर नहीं है और जलयान भारत में हो या भारत में निवास करने वाले स्वामी के अभिकर्ता पर यदि ऐसा स्वामी भारत में नहीं है या जहां ऐसा कोई अभिकर्ता ज्ञात नहीं है या नहीं मिलता है जलयान के ब्रिज पर उपयुक्त स्थान पर नियत करके तामील की जाएगी ।

अध्याय 6

प्रकीर्ण

प्रत्योजन की शक्ति ।

34. (1) केंद्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेश दे सकती है कि इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों के संबंध में या उसके अधीन प्रयोग की जाने

वाली किसी शक्ति, प्राधिकार या अधिकारिता को महानिदेशक या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट की जाएं, प्रयोग की जा सकती हैं ।

(2) महानिदेशक केंद्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के साथ साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि उस पर अधिरोपित या प्रत्योजित किसी शक्ति या प्राधिकार के लिए तथा इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा या उसके अधीन कोई अधिरोपित कर्तव्य ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा और ऐसी शर्तों के अध्यधीन जो इस आदेश में विनिर्दिष्ट की जा सके उसका भी प्रयोग किया जा सकता है या पालन किया जा सकता है ।

महानिदेशक की निदेश देने तथा जानकारी मांगने की शक्ति ।

35. (1) महानिदेशक,—

(क) लोकहित में; या

(ख) भारतीय पोत परिवहन के हित में ; या

(ग) राष्ट्रीय रक्षा और समुद्रीय सुरक्षा के हित में ; या

(घ) समुद्र पर जीवन की सुरक्षा और पर्यावरण की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए,

आदेश द्वारा किसी ऐसे जलयान को निदेश दे सकता है जिसको इस अधिनियम के अधीन निम्नलिखित मामलों के संबंध में अनुज्ञप्ति प्रदान की गई हो अर्थात :—

(i) भारत के भीतर या बाहर ऐसे पत्तन या स्थान, जहां के लिए, और ऐसे मार्ग जिनसे होकर, जलयान किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए अग्रसर होगा ;

(ii) जलयान का किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए एक मार्ग से दूसरे मार्ग पर हटाया जाना ।

(iii) यात्रियों या स्थोरा के ऐसे वर्ग जिनका वहन जलयान पर किया जा सकता है ।

(iv) वह पूर्विक्ता क्रम जिसके अनुसार यात्रियों या स्थोरा को भारत के भीतर या बाहर किसी पत्तन या ऐसे स्थान के लिए ले जाया जा सकता है या जहां उन्हें जलयान पर उतारा जा सकता है ।

(v) भारत में किसी पत्तन, लंगरगाह या अपतट में प्रवेश करने से किसी जलयान को रोकना ।

(vi) कोई अन्य मामला जिसे महानिदेशक आवश्यक समझे ।

(2) महानिदेशक किसी जलयान के अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता से निम्नलिखित सूचना द्वारा अपेक्षा कर सकता है,—

(क) इस अधिनियम के अधीन कोई अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है ; या

(ख) किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए एक मार्ग से अन्य के लिए जलयान का मार्ग बदलने के संबंध में कोई निदेश दिया गया हो जिसमें निम्नलिखित अभिप्रेत है,

जिसके संबंध में ऐसी सूचना को प्रस्तुत करने के लिए जो ऐसी अवधि के भीतर आवश्यक समझी जाए जो उक्त सूचना में विनिर्दिष्ट की जा सके,—

(i) यात्रियों और स्थोरा के ऐसे वर्ग जिसमें जहाज किसी विशिष्ट अवधि के दौरान ले जाने के बारे में या ले जाने में सक्षम हो या ले जाया गया हो; या

(ii) जलयान को लागू यात्री भाड़ा और वाहन शुल्क की दर ; या

(iii) कोई अन्य मामला जो विहित किया जा सके ।

केंद्रीय सरकार की निदेश जारी करने की शक्ति ।

36. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, प्रत्येक व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, ऐसी नीति के प्रश्न पर ऐसे निदेशों के लिए बाध्यकारी होगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर लिखित में दिया जा सके ।

(2) किसी प्रश्न पर केंद्रीय सरकार का विनिश्चय नीति का एक भाग होता है और वह अंतिम नहीं होगा ।

छूट देने की शक्ति ।

37. इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए, केंद्रीय सरकार, यथास्थिति केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुज्ञा के साथ महानिदेशक की यदि यह राय है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, लिखित में आदेश द्वारा ऐसी शर्तों के अध्यधीन तथा ऐसी अवधि के लिए जो वह ठीक समझे, इस अधिनियम के उपबंधों से निम्नलिखित छूट प्रदान कर सकता है—

(क) तटीय व्यापार में लगे हुए किसी जलयान या जलयान के प्रवर्ग के लिए ; या

(ख) किसी भारत के नागरिक या अनिवासी भारतीय या भारत के किसी प्रवासी नागरिक या किसी कंपनी या सहकारी सोसाइटी या सीमित दायित्व भागीदारी या ऐसी इकाइयों द्वारा किसी चार्टेड जलयान के प्रवर्ग के लिए जिसे धारा 11 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सके ।

सद्भाव में कार्य करने का संरक्षण ।

38. किसी भी ऐसी बात के बारे में जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई हो या की जाने के लिए आशयित हो कोई भी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी ।

केंद्रीय सरकार की नियम बनाने की शक्ति ।

39. (1) केंद्रीय सरकार पूर्व प्रकाशन की शर्त के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन महानिदेशक को देने के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन का प्ररूप और उसकी रीति तथा उसको

संदाय की जाने वाली फीस ;

(ख) धारा 4 की उपधारा (3) के अधीन वह प्ररूप, अवधि और शर्तें जिसके अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की जाएगी ;

(ग) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन मंजूर की जाने वाली अनुज्ञप्ति का वर्ग या प्रवर्ग ;

(घ) धारा 5 की उपधारा (3) के अधीन महानिदेशक को दिए जाने किसी अनुज्ञप्ति की विशिष्टियों के उपांतरण के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति ;

(ङ) धारा 6 के अधीन महानिदेशक के लिए अपेक्षाओं के रिपोर्ट करने का प्ररूप और रीति ;

(च) धारा 8 की उपधारा (2) के खंड (ज) के अधीन रणनीतिक योजना में सम्मिलित होने वाले कुछ अन्य मामले ;

(छ) धारा 8 की उपधारा (4) के अधीन कारबार के संव्यवहार की अपनी बैठकों तथा ऐसी बैठकों की गणपूर्ति के लिए समिति द्वारा संप्रेक्षित किए जाने वाला समय, स्थान और प्रक्रिया ;

(ज) धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन महानिदेशक द्वारा राष्ट्रीय तटीय पोत परिवहन के डाटाबेस के रखरखाव का प्ररूप और रीति ;

(झ) धारा 11 की उपधारा (3) के अधीन महानिदेशक को देने के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन का प्ररूप और उसकी रीति तथा उसको संदाय की जाने वाली फीस ;

(ञ) धारा 11 की उपधारा (4) के अधीन मंजूर की जाने वाली अनुज्ञप्ति, जिसके अधीन प्ररूप, अवधि और शर्तें हैं ;

(ट) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति की विशिष्टियों के उपांतरण के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति ;

(ठ) धारा 26 की उपधारा (1) के अधीन किसी अपराध के शमन के लिए केंद्रीय सरकार को उधार हेतु संदेय की जाने वाली रकम तथा संदाय करने की रीति ;

(ड) धारा 26 की उपधारा (3) के अधीन किसी अपराध के शमन के लिए किसी आवेदन को करने का प्ररूप और रीति ;

(ढ) धारा 30 की उपधारा (2) के अधीन महानिदेशक को अपील करने का प्ररूप और रीति ;

(ण) धारा 31 के अधीन नोटिस को जारी करने का प्ररूप और रीति ;

(त) धारा 35 की उपधारा (2) के खंड (iii) के अधीन कोई अन्य मामला जिसके संबंध में महानिदेशक सूचना, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किसी जलयान के स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता से अपेक्षा कर सकता है ;

(थ) इस अधिनियम के उपबंधों के लिए कोई अन्य मामला जो अपेक्षित

है या विहित किया जा सकता है ।

संसद् के समक्ष नियम और अधिसूचना का रखा जाना ।

40. इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम या विनियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल मिलाकर तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा जो एक सत्र में या दो या अधिक क्रमवर्ती सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन, यथास्थिति, उस नियम या विनियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं तो तत्पश्चात् वह नियम या विनियम ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा । यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जाएं कि, यथास्थिति, वह नियम या विनियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा, किन्तु नियम या विनियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

41. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों और जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों :

परंतु ऐसा कोई भी आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

निरसन और व्यावृत्ति ।

1958 का 44

42. (1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 का भाग 14 उसकी धारा 411क के सिवाय (जिसे इसमें उक्त अधिनियम का भाग 14 विनिर्दिष्ट किया गया है) निरसित किया जाता हैं ।

(2) किसी अधिनियमिति के निरसन के होते हुए भी—

(क) उक्त अधिनियम के भाग 14 के अधीन जारी की गई, बनाई गई या मंजूर की गई कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, उपविधि, आदेश या छूट, तब तक जब तक वह प्रतिसंहृत नहीं की जाती, वैसे ही प्रभावी रहेगी मानो वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी की गई, बनाई गई या मंजूर की गई थी ;

(ख) उक्त अधिनियम के भाग 14 के अधीन मंजूर की गई या जारी की गई कोई अनुज्ञप्ति तब तक जब तक वह प्रतिसंहृत नहीं की जाती या अवसान नहीं होती है वैसे ही प्रभावी रहेगी मानो वह इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन जारी की गई, बनाई गई या मंजूर की गई थी ;

(ग) उक्त अधिनियम के भाग 14 के अधीन नियुक्त किया गया कोई अधिकारी और निर्वाचित या गठित कोई निकाय जारी रहेगा और उसके बारे में यह समझा जाएगा कि वह इस अधिनियम के अधीन नियुक्त या निर्वाचित या गठित किया गया था ;

(घ) उक्त अधिनियम के भाग 14 के प्रति निर्दिष्ट किसी दस्तावेज को

इस अधिनियम में यथा विनिर्दिष्ट समझा जाएगा ;

(ङ) उक्त अधिनियम के भाग 14 के अधीन उद्गृहीत किसी जुर्माने को वैसे ही वसूल किया जा सकेगा मानो वह इस अधिनियम के अधीन उद्गृहीत किया गया था ;

(च) उक्त अधिनियम के भाग 14 के अधीन कारित किए गए किसी अपराध का अभियोजन किया जा सकता है और दंड दिया जा सकता है मानों यदि वह इस अधिनियम के अधीन कारित किया गया था ;

(छ) उक्त अधिनियम के भाग 14 के अधीन किसी न्यायालय के समक्ष लंबित किसी कार्यवाही का इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन विचारण किया जा सकता है या निपटान किया जा सकता है ;

(ज) उक्त अधिनियम के भाग 14 के उपबंधों के अधीन आदेशित किया गया कोई निरीक्षण, अन्वेषण या जांच कार्यवाही के लिए बनी रहेगी मानो वह ऐसा निरीक्षण, अन्वेषण या जांच इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया है ।

(3) उपधारा (2) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के उपबंध निरसन के प्रभाव के संबंध में लागू होंगे । 1897 का 10

उद्देश्यों और कारणों का कथन

तटीय पोत परिवहन में 7,500 किलोमीटर के लगभग वृहत्त तटीय रेखा होने और महत्वपूर्ण वैश्विक पोत परिवहन मार्गों से सन्निकटता होने के कारण भारत में अत्यधिक संभावनाएं हैं । यह माना जाता है कि समुद्री परिवहन, विशिष्टतया तटीय पोत परिवहन, परिवहन की अन्य रीतियों की तुलना में सस्ता है । तटीय समुद्री परिवहन क्षेत्र में परिवहन संयोजकता और सहायक अवसंरचना में सुधार की आवश्यकता है । परिवहन और संभार की लागत प्रत्यक्ष रूप से उत्पादन लागत को प्रभावित करती है और इस संबंध में दक्षता में सुधार के लिए दृढ़ नीतिगत प्रयास होने चाहिए ।

2. भारत में तटीय समुद्री क्षेत्र के विनियम में एकरूपता का अभाव है । तट-वार व्यापार में लगे हुए गैर-यंत्रीकृत जलयान तटीय जलयान अधिनियम, 1838 द्वारा शासित होते हैं, जो केवल ऐसे जलयानों के रजिस्ट्रीकरण का उपबंध करता है । विनियमन, क्षेम, सुरक्षा और प्रदूषण निवारण से संबंधित उपायों को भी संबोधित किए जाने की आवश्यकता है । दूसरी ओर यंत्रीकृत जलयान पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के क्षेत्र में आते हैं ।

3. पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के भाग 14 के अधीन वर्तमान विनियामक ढांचे में तटीय व्यापार सहित समुद्र में पोत ले जाने से पहले भारतीय पोत साथ ही भारतीय नागरिक द्वारा चार्टरित पोतों और विदेशी जलयानों द्वारा अनुज्ञप्ति प्राप्त किया जाना अपेक्षित है । तथापि, भारतीय जलयानों सहित सभी जलयानों के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षा और विदेशी झंडे वाले गैर-नोदित जलयानों के तटीय व्यापार का अपवर्जन इस क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और दक्षता में बाधा साबित हुए हैं । विदेशी झंडे वाली गैर-नोदित चलत अपतटीय भेदन इकाइयों, वास-सुविधा बजरों, आदि को विनियामक अपेक्षाओं के क्षेत्र में लाना आवश्यक समझा गया है ।

4. तटीय व्यापार के विनियमन में उद्भूत चुनौतियों को देखते हुए समुद्री तटीय पोत परिवहन क्षेत्र की वर्तमान और भविष्य की अपेक्षाओं को पूरा करने में सर्वोत्तम वैश्विक प्रथाओं के अंगीकरण द्वारा तटीय व्यापार में लगे हुए जलयानों के विनियमन को मजबूत बनाना आवश्यक समझा गया है ।

5. पोत परिवहन विधेयक, 2024, अन्य बातों के साथ, निम्नलिखित का उपबंध करने के लिए है, अर्थात् :—

(i) भारतीय पोतों और तटीय व्यापार में लगे हुए पोतों का नियंत्रण से संबंधित वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के भाग 14 का (उसकी धारा 411क के सिवाय) निरसन ;

(ii) "तटीय व्यापार" की परिभाषा में "सेवा" पद को सम्मिलित करने के लिए जिससे अपतटीय जलयानों जो साधारणतया माल और यात्रियों के परिवहन में नियोजित हुए बिना सेवाएं प्रदान करते हैं, विधेयक के क्षेत्र के भीतर लाया जा सके ;

(iii) भारतीय जलयानों से भिन्न जलयानों द्वारा अनुज्ञा के बिना तटीय

जल में तटीय व्यापार का प्रतिषेध और भारतीय जलयानों को कतिपय शर्तों के अध्यधीन रहते हुए तटीय व्यापार में नियोजन की अनुज्ञा ;

(iv) महानिदेशक को कतिपय कारकों, जिसके अंतर्गत कर्मीदल की नागरिकता और जलयान की निर्माण अपेक्षाएं भी हैं, पर विचार करने के पश्चात् अनुज्ञप्ति जारी करने के लिए सशक्त करना, जिससे भारतीय नागरिकों के लिए और नौकरी सृजित हो सके और भारत में पोत निर्माण की प्रोन्नति हो सके ;

(v) तटीय व्यापार से भिन्न प्रयोजनों के लिए भारतीय इकाइयों द्वारा चार्टरित जलयानों से अनुज्ञप्ति अपेक्षा ;

(vi) तटीय पोत परिवहन के राष्ट्रीय डाटाबेस का सृजन, जिससे प्रक्रिया में पारदर्शिता और सूचना साझा करने में सहायता सुनिश्चित हो सके ;

(vii) तटीय पोत परिवहन के विकास, अभिवृद्धि और प्रोन्नति के लिए राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन सामरिक योजना तैयार करना ;

(viii) कतिपय अपराधों को शमनीय बनाने के लिए और प्रधान अधिकारी द्वारा शास्ति अधिरोपित करने के लिए उपबंध ; और

(ix) महानिदेशक को कतिपय मामलों में सूचना मांगने के लिए सशक्त करने हेतु उपबंध ।

6. खंडों पर टिप्पण विधेयक में अंतर्विष्ट विभिन्न उपबंधों का विस्तृत विवरण करता है ।

7. विधेयक उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ;
24 नवम्बर, 2024

सर्बानंद सोनोवाल

खंडों पर टिप्पण

खंड 1—यह खंड विधेयक के संक्षिप्त नाम, लागू होना और प्रारंभ के बारे में उपबंध करता है। यह निर्दिष्ट करता है कि विधेयक (क) प्रत्येक जलयान तटीय व्यापार में लगे भारतीय जलयान के अन्यथा (ख) विधेयक के अधीन विनिर्दिष्ट चार्टर्ड जलयान और (ग) भारत के तटीय सागर खंडों पर, लागू होता है।

खंड 2—यह खंड विधेयक में प्रयुक्त विभिन्न पदों को परिभाषित करता है, जिनमें "तटीय व्यापार", "तटीय सागर खंड", "तटीय पोत परिवहन का राष्ट्रीय डाटाबेस", "जलयान" आदि शामिल हैं।

खंड 3—यह खंड तटीय सागर खंड में तटीय व्यापार में भारतीय जलयानों के अतिरिक्त अन्य पोतों को शामिल करने पर प्रतिबंध लगाता है, जब तक कि इसके लिए पोत महानिदेशक द्वारा अनुज्ञप्ति प्रदान नहीं किया गया हो।

खंड 4—यह खंड यह उपबंध करता है कि महानिदेशक किसी पोत को तटीय व्यापार में संलग्न होने के लिए अनुज्ञप्ति दे सकता है, जो केंद्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा निर्धारित शर्तों के अधीन है। यह आगे दिए जाने वाली अनुज्ञप्ति की श्रेणी या वर्गों के निर्धारण का उपबंध करता है।

खंड 5—यह खंड महानिदेशक को विधेयक के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति को निलंबित करने, रद्द करने या संशोधित करने की शक्ति प्रदान करता है। यह अनुज्ञप्ति में संशोधन और वैध न रह गई अनुज्ञप्ति को वापस करने का भी उपबंध करता है।

खंड 6—यह खंड तटीय व्यापार में लगे प्रत्येक जलयानों के संबंध में रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का उपबंध करता है।

खंड 7—यह खंड यह उपबंध करता है कि सीमा शुल्क का कोई भी उचित अधिकारी तटीय व्यापार में लगे भारतीय जलयानों के अतिरिक्त किसी अन्य जलयान को पत्तन में प्रवेश करने या वहां से प्रस्थान करने की मंजूरी नहीं देगा, जब तक कि ऐसे जलयान के अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता द्वारा अनुज्ञप्ति प्रस्तुत न किया जाए। यह विधेयक की आवश्यकताओं का अनुपालन न करने वाले जलयानों को निरुद्ध करने का भी उपबंध करता है।

खंड 8—यह खंड राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन सामरिक योजना की तैयारी और प्रकाशन का उपबंध करता है। यह ऐसी योजना में शामिल किए जाने वाले मामलों को सूचीबद्ध करता है और योजना तैयार करने के लिए समिति की संरचना विनिर्दिष्ट करता है।

खंड 9—यह खंड महानिदेशक को तटीय पोत परिवहन का राष्ट्रीय डेटाबेस कहे जाने वाले डेटाबेस का वेब पोर्टल बनाए रखने की अपेक्षा करता है। इसमें ऐसे डेटाबेस में शामिल की जाने वाली सूचना की गणना भी की गई है और यह उपबंधित किया गया है कि उक्त डेटाबेस का वेब पोर्टल सार्वजनिक पहुंच के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जिसे हर महीने अपडेट किया जाएगा।

खंड 10—यह खंड विधेयक के अध्याय 4 को भारत के नागरिक, या किसी

अनिवासी भारतीय या भारत के किसी विदेशी नागरिक, या किसी कंपनी या सहकारी समिति या सीमित दायित्व भागीदारी या किसी अन्य इकाई द्वारा, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, किराए पर लिए गए समुद्री पोतों पर लागू करने का उपबंध करता है।

खंड 11—यह खंड भारतीय जलयानों के अतिरिक्त अन्य चार्टर्ड पोतों के लिए अनुज्ञप्ति की अपेक्षाओं का उपबंध करता है। यह आगे विनिर्दिष्ट करता है कि भारत के किसी विदेशी नागरिक द्वारा चार्टर्ड पोतों को इस खंड के अधीन अनुज्ञप्ति की अपेक्षा नहीं होगी यदि वह विशेष रूप से भारत के बाहर संचालन के लिए किराए पर लिया गया हो।

खंड 12—यह खंड महानिदेशक को, यदि अपेक्षित हो, खंड 11 के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति को निलंबित, प्रतिसंहरित या उपांतरित करने का अधिकार देता है। आगे यह भी उपबंध करता है कि जब तक अनुज्ञप्तिधारी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर नहीं दिया जाता है, तब तक किसी भी अनुज्ञप्ति को निलंबित, प्रतिसंहरित या उपांतरित नहीं किया जा सकता है। यह नियमों द्वारा विहित अनुज्ञप्ति के संशोधन की प्रक्रिया भी अधिकथित करता है।

खंड 13—यह खंड अनुज्ञप्तिधारी से ऐसे अनुज्ञप्ति की वैधता समाप्त होने या प्रतिसंहरित होने पर उसे महानिदेशक को वापस कर देने का उपबंध करता है।

खंड 14—यह खंड किसी भी उचित सीमा शुल्क अधिकारी को अध्याय 4 के अधीन बिना अनुज्ञप्ति प्रस्तुत किए पत्तन से निकासी नहीं किए जाने का उपबंध करता है।

खंड 15—यह खंड, खंड 3 के उपबंधों के उल्लंघन करके तटीय व्यापार में भाग लेने वाले व्यक्ति को दंडित करने का उपबंध करता है।

खंड 16—यह खंड अनुज्ञप्ति की विधिमान्यता समाप्त हो जाने के पश्चात् तटीय व्यापार में भाग लेने के लिए दंड का उपबंध करता है ।

खंड 17—यह खंड, खंड 11 के अधीन चार्टर्ड जलयानों के लिए अनुज्ञप्ति की अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हुए जलयान को समुद्र में ले जाता है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए दंड का उपबंध करता है ।

खंड 18—यह खंड ऐसे अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता के लिए दंड का उपबंध करता है, जिसे नोटिस दिया गया है और जो विनिर्दिष्ट समय के भीतर अपेक्षित सूचना देने में असफल रहता है या गलत सूचना देता है।

खंड 19—यह खंड किसी जलयान के अनुज्ञप्तिधारी के लिए, जिस पर रोक लगाने के लिए कोई नोटिस या आदेश दिया गया है, यदि ऐसा अनुज्ञप्तिधारी प्राधिकारी द्वारा जलयान छोड़े जाने से पहले समुद्र में चला जाता है उसके लिए दण्ड का उपबंध करता है ।

खंड 20—यह खंड अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता के लिए दंड का उपबंध करता है, जो जलयान को रोकने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति को अवैध रूप से रोक लेता है और प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जलयान को छोड़े जाने से पहले समुद्र में चला जाता है।

खण्ड 21—यह खंड, खंड 6 के अधीन महानिदेशक को मिथ्या या भ्रामक

जानकारी को रिपोर्ट करने के लिए शास्ति का उपबंध करता है।

खंड 22—यह खंड विधेयक के अधीन दी गई अनुज्ञप्ति की शर्तों के अतिक्रमण के लिए शास्ति का उपबंध करता है।

खंड 23—यह खंड किसी जलयान के अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता के लिए शास्ति का उपबंध करता है, जो महानिदेशक द्वारा दिए गए निदेशों का पालन करने में विफल रहता है।

खंड 24—यह खंड किसी जलयान के अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता द्वारा केन्द्रीय सरकार के आदेश का अनुपालन न करने पर शास्ति का उपबंध करता है।

खंड 25—यह खंड विधेयक के किसी उपबंध के उल्लंघन या किसी नियम, निर्देश, आदेश या अधिसूचना का पालन करने में विफलता के लिए शास्ति का उपबंध करता है, जिसके लिए विधेयक के अधीन कोई शास्ति विशेष रूप से प्रदान नहीं की गई है।

खंड 26—यह खंड विधेयक के अधीन कुछ अपराधों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा शमन का उपबंध करता है । यह उक्त अधिकारी के आदेश का अननुपालन करने के परिणाम को भी विनिर्दिष्ट करता है । यह भी उपबंध करता है कि किसी बाद के किसी अपराध के लिए शमन की अनुमति नहीं होगी।

खंड 27—यह खंड प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट को विधेयक के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति पर विधेयक के अधीन विनिर्दिष्ट दंडादेश पारित करने का अधिकार देता है।

खंड 28—यह खंड किसी कंपनी के प्रभारी और जिम्मेदार व्यक्ति को खंड के उपबंध के अधीन ऐसी कंपनी द्वारा कारित अपराध के लिए दोषी और दंडित मानता है। आगे यह कंपनी के निदेशक, प्रबंधक, सचिव या भागीदार या अन्य अधिकारी को दोषी और दंडित मानता है, यदि ऐसा अपराध ऐसे व्यक्ति की सहमति से या उसकी किसी उपेक्षा के कारण किया गया था।

खंड 29—यह खंड भारतीय नौसेना या भारतीय तटरक्षक या पुलिस के किसी भी कमीशन प्राप्त अधिकारी या किसी पत्तन अधिकारी, पायलट, पत्तन मास्टर या पत्तन संरक्षक या सीमा शुल्क आयुक्त या विधेयक के अधीन अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को प्रधान अधिकारी के अनुदेशों के अधीन अधिकृत या निरोध में लिए जाने के लिए आदेशित किसी जलयान को निरोध में लेने का अधिकार देता है।

खंड 30—यह खंड विनिर्दिष्ट करता है कि विधेयक के अधीन दंड लगाने के लिए प्रधान अधिकारी न्यायनिर्णयन प्राधिकारी होगा। यह खंड दंड लगाने के आदेश से व्यथित व्यक्ति को महानिदेशक के समक्ष अपील करने का भी उपबंध करता है। यह विधेयक के अधीन दंड विनिर्दिष्ट करने वाले कुछ शास्तियों के लिए शमन का भी उपबंध करता है और विनिर्दिष्ट करता है कि जमा नहीं किया गया जुर्माना भूमि राजस्व के बकाया के माध्यम से वसूल किया जाएगा।

खंड 31—यह खंड उस देश के कौंसलीय कार्यालय को नोटिस देने का उपबंध करता है जिसमें कोई जलयान पंजीकृत है, यदि ऐसा जलयान विधेयक के अधीन

निरुद्ध किया जाता है या ऐसे जलयान के अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जाती है।

खंड 32—यह खंड विनिर्दिष्ट करता है कि विधेयक के अधीन कोई अपराध करने वाले किसी व्यक्ति पर उस स्थान पर विचारण किया जा सकेगा जहां वह पाया जाए, या किसी ऐसे न्यायालय में जिसे केन्द्रीय सरकार अधिसूचना द्वारा इस संबंध में निदेश दे, या किसी ऐसे न्यायालय में जिसमें उस व्यक्ति पर किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन विचारण किया जा सके।

खण्ड 33—यह खंड संबंधित व्यक्ति या जलयान के स्वामी या जलयान के कमांड में व्यक्ति या जलयान के स्वामी या स्वामी के अभिकर्ता पर दस्तावेजों के तामील की रीति को विनिर्दिष्ट करता है।

खंड 34—यह खंड केंद्रीय सरकार को विधेयक के अधीन अपनी शक्ति, अधिकार या अधिकार क्षेत्र को महानिदेशक या किसी अन्य अधिकारी को उस संबंध में जारी आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन सौंपने का अधिकार देता है । यह खंड महानिदेशक को केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से इन शक्तियों को आदेश में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन रहते हुए किसी अन्य अधिकारी या प्राधिकरण को प्रत्यायोजित करने के लिए शसक्त करता है ।

खंड 35—यह खंड महानिदेशक को विधेयक के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त जलयानों को खंड के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों के लिए निर्देश देने की शक्ति प्रदान करता है, यदि इसे जनहित या खंड में निर्दिष्ट किसी अन्य हित में आवश्यक समझा जाए। यह महानिदेशक को विधेयक के अधीन अनुज्ञप्ति प्राप्त जलयानों के अनुज्ञप्तिधारी या अभिकर्ता से खंड के अधीन विनिर्दिष्ट मामलों सहित जानकारी मांगने का अधिकार देता है।

खंड 36—यह खंड केन्द्रीय सरकार को विधेयक के अधीन किसी व्यक्ति के कार्यों और कर्तव्यों के संबंध में निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है और यह भी विनिर्दिष्ट करता है कि नीतिगत या अन्यथा किसी प्रश्न पर केन्द्रीय सरकार का निर्णय अंतिम होगा।

खंड 37—यह खंड केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक को तटीय व्यापार में लगे किसी जलयान या जलयानों के वर्ग को या भारत के किसी नागरिक या किसी अनिवासी भारतीय या भारत के किसी विदेशी नागरिक या किसी कंपनी या सहकारी समिति या सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा किराये पर लिए गए किसी जलयान या जलयानों के वर्ग को विधेयक के उपबंधों से किसी विशिष्ट अवधि के लिए और ऐसी शर्तों के अधीन, जो उचित समझी जाएं, छूट देने का अधिकार देता है, यदि ऐसी छूट सार्वजनिक हित में आवश्यक समझी जाती है।

खंड 38—यह खंड विधेयक के उपबंधों के अधीन सद्भावनापूर्वक किए गए कार्यों के लिए अभियोजन या विधिक कार्यवाही से व्यक्तियों की सुरक्षा प्रदान करता है।

खंड 39—यह खंड विधेयक के उन उपबंधों को सूचीबद्ध करता है जिनके लिए केन्द्रीय सरकार नियम बना सकती है।

खंड 40—यह खंड विनिर्दिष्ट करता है कि विधेयक के अंतर्गत बनाया गया

प्रत्येक नियम और जारी की गई अधिसूचना संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी।

खंड 41—यह खंड यह उपबंध करता है कि यदि विधेयक के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्रीय सरकार विधेयक के उपबंधों से असंगत न होने वाले उपबंध कर सकेगी, जो उसे विधेयक के प्रारंभ की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों।

खंड 42—यह खंड वाणिज्यिक जलयान परिवहन अधिनियम, 1958 के भाग 14 को, उसकी धारा 411क के सिवाए, निरसन करने का उपबंध करता है, तथा अधिनियमिति के उपबंधों के अधीन की गई कतिपय कार्रवाइयों की व्यावृत्ति का उपबंध करता है।

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंधों में भारत की समेकित निधि से आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का कोई व्यय अंतर्वलित नहीं है ।

प्रत्यायोजित विधान के बारे में ज्ञापन

विधेयक का खंड 39 केन्द्रीय सरकार को इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने के लिए सशक्त करता है । उक्त खंड का उपखंड (2) वे विषय विनिर्दिष्ट करता है जिनकी बाबत नियम बनाए जा सकेंगे । इस विषय में सम्मिलित है—

(i) खंड 4 के उपखंड (1) के अधीन महानिदेशक को देने के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन का प्ररूप और उसकी रीति तथा उसको संदाय की जाने वाली फीस, उपखंड (3) के अधीन वह प्ररूप, अवधि और शर्तें जिसके अधीन अनुज्ञप्ति मंजूर की जाएगी, उपखंड (4) के अधीन मंजूर की जाने वाली अनुज्ञप्ति का वर्ग या प्रवर्ग; (ii) खंड 5 के उपखंड (3) के अधीन महानिदेशक को दिए जाने किसी अनुज्ञप्ति की विशिष्टियों के उपांतरण के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति ; (iii) खंड 6 के अधीन महानिदेशक के लिए अपेक्षाओं के रिपोर्ट करने का प्ररूप और रीति ; (iv) खंड 8 के उपखंड (2)(ज) के अधीन राष्ट्रीय तटीय और अंतर्देशीय पोत परिवहन सामरिक योजना में सम्मिलित होने वाले अन्य मामले ; (v) खंड 8 के उपखंड (4) के अधीन कारबार के संव्यवहार की अपनी बैठकों तथा ऐसी बैठकों की गणपूर्ति के लिए समिति द्वारा संप्रेक्षित किए जाने वाला समय, स्थान और प्रक्रिया ; (vi) खंड 9 के उपखंड (1) के अधीन महानिदेशक द्वारा राष्ट्रीय तटीय पोत परिवहन के डाटाबेस के रखरखाव का प्ररूप और रीति ; (vii) खंड 11 के उपखंड (3) के अधीन महानिदेशक को देने के लिए अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन का प्ररूप और उसकी रीति तथा उसको संदाय की जाने वाली फीस ; (viii) खंड 11 के उपखंड (4) के अधीन मंजूर की जाने वाली अनुज्ञप्ति, जिसके अधीन प्ररूप अवधि और शर्तें हैं ; (ix) खंड 12 के उपखंड (2) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति की विशिष्टियों के उपांतरण के लिए आवेदन करने का प्ररूप और रीति ; (x) खंड 26 के उपखंड (1) के अधीन किसी अपराध के शमन के लिए केंद्रीय सरकार को उधार हेतु संदेय की जाने वाली रकम तथा संदाय करने की रीति ; (xi) खंड 26 के उपखंड (3) के अधीन किसी अपराध के शमन के लिए किसी आवेदन को करने का प्ररूप और रीति ; (xii) खंड 30 के उपखंड (2) के अधीन महानिदेशक को अपील करने का प्ररूप और रीति ; (xiii) खंड 31 के अधीन नोटिस को जारी करने का प्ररूप और रीति ; (xiv) खंड 35 के उपखंड (2)(iii) के अधीन कोई अन्य मामला जिसके संबंध में महानिदेशक सूचना, जानकारी प्रस्तुत करने के लिए किसी जलयान के स्वामी, मास्टर या अभिकर्ता से अपेक्षा कर सकता है ; (xv) इस विधेयक के उपबंधों के लिए कोई अन्य मामला जो अपेक्षित है या विहित किया जा सकता है ;

2. वे विषय, जिनके संबंध में उपरोक्त उपबंधों के अधीन नियम या विनियम बनाए जा सकेंगे, प्रक्रिया और प्रशासनिक ब्यौरे के विषय हैं और उनके लिए स्वयं विधेयक में ही उपबंध करना व्यवहार्य नहीं है । अतः, विधायी शक्ति का प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है ।